रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 1973/अग्रहायण 2, 1895

No. 395] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 1973/AGRAHAYANA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November 1973

S.O. 709(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Kanpur Commodity Exchange Ltd., Kanpur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 27th November, 1973 to the 26th November, 1974 (both days inclusive), in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(18)-IT/73.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1973

का० आ० 709(अ).—केन्द्रीय सरकार, दी कानपुर कमोडिटी एक्सचेन्ज लि० कानपुर द्वारा मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दिए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम, की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेन्ज को अलसी की अग्रिम संविदाओं की बाबत 27 नवम्बर, 1973 से लेकर 26 नवम्बर, 1974 तक (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं), एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेन्ज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा।

[सं० 12 (18)-आई०टी०/73]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973